

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(7)(2010-2011)/1099 / १०।।०९५  
 /वाणिज्य कर,  
 कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
 (विधि अनुभाग)  
 लखनऊ // दिनांक // २३ फरवरी, 2011

### विज्ञप्ति

#### विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये एवं ३०प्र० मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री गुप्ता ट्रेडर्स, संदना, मिश्रिख, सीतापुर	फार्म-3ग(1) संख्या- 413531 से 413536 तक	खोने के कारण	06
2-	सर्वश्री गुप्ता ट्रेडर्स , संदना, मिश्रिख , सीतापुर ।	फार्म-3ग (2) संख्या- 087977 से 087991 तक	खोने के कारण	15
3-	सर्वश्री गुप्ता ट्रेडर्स , संदना, मिश्रिख , सीतापुर ।	फार्म-3ख संख्या- 081309	खोने के कारण	01

(पर्दम कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश ।

#### पृष्ठांस० एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- महालेखाकार, ३०प्र० १७१-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१ वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 12- सूचना केन्द्र को ५ अतिरिक्त प्रतियों ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को ५ प्रतियों एवं विधि अनुभाग को १५ अतिरिक्त प्रतियों ।

(सुशील कुमार दुबे )

असिस्टेन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।